संख्या सा–3–897–दस/52 (3)-74

प्रेषक,

श्री हर कृष्ण मेहरोत्रा,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य समस्त
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

दिनांक लखनऊ, 2 जून, 1975

विषय––अशक्तता पेन्शन की न्यूनतम धनराशि ।

महोदय,

वित्त
(सामान्य)
अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निदेश मिला है कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था कर दी है कि अशक्तता पेंशन पर सेवा निवृत्त होने वाला कोई कर्मचारी अशक्तता पेंशन के रूप में उससे कम धनराशि नहीं पायेगा जो अशक्तता दिवस पर बजाये अशक्त होने के उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके परिवार को सेण्ट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रुल्स, 1972 के नियम 54 (2) के अधीन फैमिली पेन्शन के रूप में प्राप्य होती। राज्य सरकार ने उपरोक्त व्यवस्था के औचित्य को अंगीकार करते हुए अपने कर्मचारियों के लिये भी ऐसा ही सिद्धन्त अंगीकार करने का निर्णय लिया है। तदनुसार श्री राज्यपाल ने सहर्ष यह आदेश करने की कृपा की है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1975 या उसके बाद के किसी दिनांक को अशक्तता पेंशन पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी को अनुमन्य अशक्तता पेंशन किसी भी हालत में उस धनराशि से कम न होगी जो उसके परिवार को उक्त तिथि पर उसकी मृत्यु की दशा में न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 जैसी कि वह उस समय हो, के अधीन फैमिली पेंशन के रूप में देय होती।

नियमों में सम्बन्धित संशोधन पृथक रूप से किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
हर कृष्ण मेहरोत्रा,
विशेष सचिव वित्त ।

संख्या सा–3–897(1)–दस–/52(3)-74

प्रतिलिपि सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित––

1––श्री राज्यपाल के सचिव,
2––शासन के समस्त सचिव,
3––मुख्य मन्त्री जी के सचिव,
4––सचिव, विधान सभा,
5––सचिव, विधान परिषद्,
6––महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
7––सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
शिव शंकर लाल भटनागर,
अनु सचिव ।

पी० एस० यू० पी०––ए० पी० 34 सा० (वित्त)––748––1975––8000 (मे०) ।